न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 02/2018 अपील

मोतीलाल पिता नानालाल धाकड़, आयु 60 साल, निवासी कनेरा, हा.मु. वामनगर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

1. श्रीलाल पिता नानालाल मृतक के बजाय–
   1/1– कला बाई बेवा श्रीलाल धाकड़, आयु 55 साल।
   1/2– लोकेश उर्फ पप्पु पिता श्रीलाल धाकड़, आयु 26 साल।
   1/3– गोपाल पुत्र श्रीलाल धाकड़, आयु 24 साल।
   1/4– शानू पिता श्रीलाल धाकड़, आयु 22 साल।
   1/5– प्रकाश उर्फ भईया पुत्र श्रीलाल धाकड़, आयु 15 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता कला बाई बेवा श्रीलाल धाकड़, सभी निवासीयान कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. छगनलाल पिता नानालाल धाकड़, आयु 53 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. कन्हैयालाल पिता नानालाल धाकड़, आयु 50 साल, निवासी कनेरा।
4. श्रीमती धापु बाई बेवा नानालाल धाकड़, आयु 90 साल, निवासी कनेरा।
5. ग्राम पंचायत कनेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा।
6. पटवारी, पटवार हल्का कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 03.10.2013
ग्राम पंचायत कनेरा
श्री ज्ञानचंद धाकड़, अधिवक्ता अपीलाण्ट, उपस्थित
श्री अनन्त चपलोत, अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 से 4, उपस्थित

निर्णय दिनांक 12.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर

निवेदन किया की वाके मौजा कनेरा की खाता संख्या 916 की कुल किता 11 कुल रकबा 1.9600 हेक्टेयर, खाता संख्या 917 की आराजीयात किता 1 रकबा 0.3100 हेक्टेयर, खाता संख्या 918 की आराजी किता 1 रकबा 0.1300 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 919 की आराजीयात किता 1 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि अपीलाण्ट की पैतृक आराजीयात होकर अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट सन् 1992 में मजदुरी करने के लिए निम्बाहेड़ा आ गया तथा कनेरा आना जाना कम हो गया। अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 1 से 3 के पिता की मृत्यु सन 2013 में होने पर रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 छगनलाल ने अपना स्वयं का झुठा शपथ पत्र तैयार कर उसे असली के मुकाबले उपयोग कर अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर अपीलाण्ट का नाम छिपाकर नानालाल जी की विरासत अपने रेस्पोण्डेण्ट के नाम दर्ज करवा ली जो गलत है और उससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों एवं उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत निर्णय जारी किया है। सम्पूर्ण जांच किये बिना निर्णय जारी किया गया है तथा अपीलाण्ट को इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। ना मौके पर अपीलाण्ट के कब्जे को ध्यान में रखा गया था ओर मन मकसुद तरीके से नामान्तरकरण निर्णित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। पूर्व में अपीलाण्ट को इस नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार ऋण हेतु आवेदन करने के लिए नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। जानकारी के अभाव में इस अपील को प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानते हुए स्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कनेरा का निर्णय नामान्तरकण संख्या 89, दिनांक 03.10.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अनन्त चपलोत ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 5 व 6 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 से 4 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए अपील के कथनों से सहमति प्रकट की है तथा अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट ने ग्राम कनेरा का प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 03.10.2013 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम कनेरा की खाता संख्या 916,917, 918, 919 मोतीलाल का भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ़ एवं थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा के नाम दिये गये परिवार की प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रश्नगत नामान्तरकरण मृतक नानालाल की विरासत का नामान्तरकरण है जिसमें अंकित सजरे में श्रीलाल, छगनलाल व कन्हैयालाल को नानालाल का पुत्र व धापु बाई को बेवा दर्शाया गया है। अपीलाण्ट मोतीलाल का नाम सजरे में अंकित नहीं है जबकि मोतीलाल के सभी पहचान के दस्तावेजों में पिता का नाम नानालाल अंकित है। रेस्पोण्डेण्ट्स भी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए हैं तथा अपीलाण्ट के कथनों को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट को नानालाल का पुत्र एवं वैध वारिस होना स्वीकार किया है। अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट का नाम बतौर वारिस नानालाल की विरासत में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट की है। प्रश्नगत भूमि ग्राम कनेरा में स्थित है और रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 1 से 4 भी कनेरा के ही निवासी हैं जबकि अपीलाण्ट 30 किमी दूर निम्बाहेड़ा में रहता है। ग्रामीण अंचल का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसे अपने पिता की विरासत की अथवा कानूनी बारिकीयों की समय पर जानकारी नहीं होना स्वीकार योग्य कथन है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। वैसे भी रेस्पोण्डेण्ट्स ने अपीलाण्ट के कथनों को स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट को नानालाल का वैध वारिस व जाईन्दा पुत्र माना है तथा अपीलाण्ट के कथनों का कोई विरोध नहीं किया है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है जो नामान्तरकरण संख्या 89 से दर्ज होना रेकार्ड में अकित है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अपीलाण्ट के पिता का नाम नानालाल उसके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजी साक्ष्यों में अंकित है। अपीलाण्ट अपनी अपील साबित करने में सफल रहा है।

अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। साथ ही अपीलाण्ट की अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 07.10.2013 को स्वीकार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कनेरा का नामान्तरकरण संख्या 89 निर्णय दिनांक 07.10.2013 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि मृतक नानालाल के सभी वारिसान की एवं प्रश्नगत आराजीयात के मौके की पूर्ण जांच कर, सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नानालाल की विरासत का नामान्तरकरण निर्णित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 12.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: